नहरबंदी से पूर्व पेयजल भंडारण के निर्देश

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में केवल पेयजल के लिये उपलब्ध जल एवं इंदिरा गांधी नहर एवं भाखडा नहर प्रणाली में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन और संधारण के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल ससांधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला कलेक्टर ने नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखडा में प्रस्तावित नहरबंदी से पूर्व सभी योजनाओं पर पेयजल भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। पेयजल के लिए किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए जल ससांधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेवें। डिग्गियों, पौंड सहित अन्य में जल भंडारण किया जाए। जलापूर्ति को लेकर परेशानी न आये, इसको लेकर समय रहते मोटर, पम्प, टयूबवैल, डिग्गियों की समय रहते मरम्मत कर ली जाये। बिजली से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको भी समय से दुरूस्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या न आये, इसके लिये भी समय से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक कर और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से जल ससांधन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता मिलकर बैठक कर आगामी पेयजल व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर लेवें। जलापूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि अंतिम छोर के साथ.साथ आमजन को सुचारू पेयजल मिल सके। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखडा में प्रस्तावित नहरबंदी को लेकर चर्चा हुई। इसी के मद्देनजर विभाग ने पर्याप्त भंडारण की तैयारी की है।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

संख्या 198 to 202-24-25

पत्रांक– 580-W/Reconditioning/CMS Xing/HMH-I/2024 दिनांक– 07.02.2025

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 04.03.2025 को 15.00 बजे तक खुली ई–निविदा आमंत्रित करते है:– **निविदा संख्या** : 198 **कार्य का नाम व स्थान** : सहायक मंडल इंजीनियर, हनुमानगढ़ – प्रथम के अधीन रोबोटिक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हुए सीएमएस क्रॉसिंग की रिकण्डीशनिंग करना (दो वर्ष के लिए)। **अनुमानित लागत मूल्य** : Rs. 3529425.50 **धरोहर राशि** : Rs. 70600.00 **निविदा संख्या** : 199 **कार्य का नाम व स्थान** : सहायक मंडल इंजीनियर, हनुमानगढ़ – प्रथम के अधीन ग्लूड जोईन्ट के फेब्रिकेशन का कार्य (दो वर्ष के लिए)। **अनुमानित लागत मूल्य** : Rs. 1326253.60 **धरोहर राशि** : Rs. 26500.00 **निविदा संख्या** : 200 **कार्य का नाम व स्थान** : सहायक मंडल इंजीनियर, हनुमानगढ़–द्वितीय के अधीन सरूपसर – श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ – गोगामेड़ी खण्ड पर रोबोटिक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हुए सीएमएस क्रॉसिंग की रिकण्डीशनिंग करना (दो वर्ष के लिए)। **अनुमानित लागत मूल्य** : Rs. 3728266.37 **धरोहर राशि** : Rs. 74600.00 **निविदा संख्या** : 201 **कार्य का नाम व स्थान** : सहायक मंडल इंजीनियर, हनुमानगढ़ – द्वितीय के अधीन रामां–बठिण्डा – सूरतगढ़ खण्ड एवं सरूपसर–श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ – गोगामेड़ी खण्ड पर टंग रेल, एसईजे इत्यादि की रिकण्डीशनिंग करना (दो वर्ष के लिए)। **अनुमानित लागत मूल्य** : Rs. 1454748.71 **धरोहर राशि** : Rs. 29100.00 **निविदा संख्या** : 202 **कार्य का नाम व स्थान** : सहायक मंडल इंजीनियर, सिरसा के अधीन अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत बीकानेर मंडल के भट्टू स्टेशन का शॉफ्ट अपग्रेडेशन का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्य** : Rs. 100325328.66 **धरोहर राशि** : Rs. 651600.00 **नोट**:– अन्य शर्तें रेलवे वेब साईट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। **177-CR/25**

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

चार दिन में दस हजार लोगों ने लिया आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ

- आरोग्य मेले के दौरान आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया
- अतिथियों ने मेले की स्टॉल्स का अवलोकन किया
- आमजन को आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया

बीकानेर, (कासं)। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम.एम. ग्राउंड में आयोजित चार दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला मंगलवार को संपन्न हुआ।

बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास, महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश तथा जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भगवान धन्वंतरि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि सदियों से आयुर्वेद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे देश और दुनियां में पुर्नस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संभाग स्तर पर आरोग्य मेले लगाये जा रहे हैं। इससे आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद मेले में दस हजार से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई और पांच हजार ने चिकित्सकों से मार्गदर्शन हासिल किया। विधायक ने कहा कि इन पद्धतियों को नियमित रूप से जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्र में दो बार आयोजित रोजगार मेलों के बारे में बताया और कहा कि बीकानेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीकानेर विकास के नए सोपान तय करेगा। पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश में कहा कि हमारे ऋषि और मुनियों ने सदियों के शोध के बाद आयुर्वेद के सूत्र दिए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी हैं।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताया और कहा कि कोरोना काल में दुनियां ने आयुर्वेद का महत्व समझा। उन्होंने संयत दिनचर्या को स्वस्थ जीवन का सूत्र बताया। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. घनश्याम रामावत ने मेले की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।

प्रतिदिन योग सत्रों का आयोजन हुआ। विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रभु दयाल जाट ने आगंतुकों का आभार जताया। इस दौरान राजस्थान योग प्राकृतिक और आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद मिश्रा, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर अचार्य, आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक डॉ सुरेश सैनी तथा डॉ. जितेंद्र सिंह भाटी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन ज्योति प्रकाश रंगा ने किया। इस दौरान कॉलेज विद्यार्थियों ने योग प्रदर्शन किया और विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से आरोग्यता का संदेश दिया। इससे पहले अतिथियों ने मेले की स्टॉल्स का अवलोकन किया। मेले में भागीदारी निभाने वाले कार्मिकों का इस दौरान सम्मान किया गया। कार्यक्रम में किशन चौधरी, अमित व्यास, डॉ. सुधांशु व्यास, योगेन्द्र शर्मा, अनिल आचार्य और मुरली व्यास सहित आयुर्वेद विभाग के विभिन्न अधिकारी–कर्मचारी, विद्यार्थी और आमजन मौजूद रहे। अंतिम दिन डॉ. पवन कुमार यादव ने नशा मुक्ति तथा डॉ. सत्यप्रकाश ने पंचकर्म चिकित्सा पर अपना व्याख्यान दिया। इस दौरान जलनेती सहित विभिन्न क्रियाएं की गई। आमजन को आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया।

साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए

बीकानेर, (कासं)। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी को राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। सेफर इंटरनेट डे पर साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी संकल्प शर्मा के निर्देशन में राउमावि मोतीगढ़ मे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाला के कार्यक्रम अधिकारी शिक्षाविद् मोहर सिंह सलावद ने कहा कि साइबर अपराध विशेषकर बैंक और निवेश के नाम से फर्जी कॉल व फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से रकम उड़ाने की घटनाओं को रोकने के लिए आमजन द्वारा इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना आवश्यक है। इसी के प्रति जागरूकता बढाने के लिए प्रति वर्ष 11 फरवरी को मनाए जाने वाले 'सेफर इन्टरनेट डे' की इस वर्ष की थीम 'टूगेदर फॉर ए बेटर इन्टरनेट' रखी गई है।

रेल फाटकों की समस्या का नहीं हुआ समाधान, आमजन त्रस्त

- रेलवे क्रॉसिंग के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत सालभर में नहीं हो सका जमीन अधिग्रहण

बीकानेर, (कासं)। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी के कारण बीकानेर शहर के 10 लाख लोगों की सबसे बड़ी कोटगेट पर रेल फाटकों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और जनता त्रस्त है। पिछली कांग्रेस सरकार ने सांखला फाटक अंडरपास और कोटगेट आरयूबी के लिए 35 करोड़ रूपए तो स्वीकृत किए लेकिन जमीन अधिग्रहण का काम लटकाए रखा। नई भाजपा सरकार बनने के बाद भी एक इंच काम आगे नहीं बढ़ा है।

बीकानेर शहर की सबसे बड़ी समस्या कोटगेट एरिया में ट्रेन गुजरने से दो जगह रेलवे क्रॉसिंग बंद होना है। शहर के बीचों बीच से ट्रेन गुजरने पर कोटगेट के सामने और सांखला फाटक बंद हो जाते हैं। जिससे जाम लग जाता है। रोजाना दिन में 60 बार ये क्रॉसिंग बंद होने से जनता को घंटों रेलवे क्रॉसिंग खुलने का इंतजार और जाम की समस्या से परेशान होना पड़ता है। पिछली कांग्रेस सरकार ने कोयला गली में सांखला फाटक पर अंडरपास और कोटगेट पर आरयूबी बनाने की घोषणा कर 35 करोड़ रूपए का बजट दे दिया था। रेलवे बोर्ड से भी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई के कारण दोनों जगह जमीन अधिग्रहण का काम का काम लटका रहा। अब प्रदेश में नई भाजपा सरकार बने सालभर बीत गया लेकिन अंडरपास और आरयूबी का काम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

अब नए सिरे से जमीन का सर्वे और अधिग्रहण करने के लिए कमेटियां बन रही है और इन सब कामों में ही दिन, महीने निकाले जा रहे हैं। सरकार के मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जनता रोजाना परेशान हो रही है। भाजपा की नई सरकार बनने पर अंडरपास की जगह एलिवेटेड रोड बनाने का मुद्दा उठा दिया गया। जिस पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। लेकिन अब अंडरपास और आरयूबी बनाने पर ही सहमति होने के बावजूद काम शुरू ही नहीं हो रहा है। नए सिरे से जमीन का सर्वे और अधिग्रहण करने के लिए बीडीए की देखरेख में फिर एक कमेटी बना दी गई।

अब सामने आया है कि बीडीए में जमीन अधिग्रहण का काम करने के लिए अनुभवी अधिकारी–कर्मचारी नहीं है। इसके लिए राजस्व विभाग के कार्मिकों की मदद ली जायेगी। बड़ा सवाल है कि बीकानेर की जनता को 70 साल पुरानी रेलवे क्रासिंग की समस्या से कब निजात मिलेगी। अंडरपास और आरयूबी के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने 12 फरवरी को कोटगेट पर धरने की घोषणा की है।।

सांखला फाटक के नजदीक कोयला गली से मटका गली तक बनने वाला अंडरपास 204 मीटर लंबा बनेगा। इसमें 5 गुणा 2.5 मी. के 52 बॉक्स डाले जाएंगे। अंडर पास बनाने में 8 करोड़ और भूमि अधिग्रहण में 17 करोड़ सहित कुल 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोटगेट आरयूबी 200 मीटर लंबा होगा जो फड़बाजार के आगे से शुरू होकर कोटगेट से 20 मीटर पहले तक बनेगा। कोटगेट के ऐतिहासिक स्वरूप को यथावत रखा जाएगा।

क्रेन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

नोखा, (निसं)। देर रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई।

मृतक की पहचान लखारा शिव मंदिर के पास निवासी राजूराम लखारा के रूप में हुई। राजूराम बीकासर स्थित फैक्ट्री से मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी बीकासर के पास एक क्रेन ने उनकी साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में राजूराम का सिर क्रेन के नीचे आ जाने से उन्हें गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नोखा के जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई।

दुर्घटना के समय एम्बुलेंस नोखा शहर में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण पींपली चौक पीएनबी बैंक के पास लगे भारी जाम में फंस गई। ट्रैफिक पुलिस के हस्तक्षेप से एम्बुलेंस को भीड़ से निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो पक्षों के झगड़े में तीन महिला सहित सात घायल

- अनूपगढ़ के गांव 13 एपीडी में देर रात एक धार्मिक स्थल पर आयोजित जागरण में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प

अनूपगढ़, (कासं)। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 13 एपीडी में देर रात एक धार्मिक स्थल पर आयोजित जागरण में हिंसक झड़प हो गई। दो पक्षों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में तीन महिलाओं सहित सात लोग घायल हो गए।

पीलीबंगा गांव सूरतगढ़ निवासी घायल हेतराम ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां जागरण में शामिल होने आये थे। देर रात अचानक 5-6 गाडियों में 35-40 लोग पत्थर और लाठियां लेकर आये और जागरण में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले हेतराम के साले रामेश्वर के बेटे सुरेन्द्र पर हमला किया। जब परिवार के अन्य सदस्य बचाने गए तो उन पर भी हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के घायल भीम सिंह का कहना है कि उनके चाचा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत करने वह कुछ लोगों के साथ गए थे। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया।

सभी घायलों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को हायर सेंटर रैफर किया गया है। रामसिंहपुर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजीव कुमार के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है और घायलों के बयान लेकर जांच की जा रही है। दोनों पक्षों में हुए झगड़े में एक पक्ष के हेतराम, उनकी पत्नी बबीता , सावित्री देवी पत्नी ठाकुर राम निवासी पीलीबंगा गांव सूरतगढ़, रजीराम पुत्र निहालचंद निवासी 28 पीबीएम सूरतगढ़ और शकुंतला पत्नी रामेश्वर निवासी 12 एसटीजी सूरतगढ़ घायल हो गए। जिनका इलाज अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में जारी है।

वही इस हमले में दूसरे पक्ष के सीताराम (30) पुत्र ओमप्रकाश निवासी 10 एपीडी और भीम सिंह (25) पुत्र प्रेम सिंह निवासी जोधपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें रेफर कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3491 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.2.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अबदूल सतार पुत्र स्व. श्री नत्थू खां निवासी म.नं. 605 शिव कॉलोनी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर एवं श्री नवाज अली पुत्र श्री नत्थू खां निवासी शिव कॉलोनी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 04 किला नं. 21 में माप 30 इंटू 50 फीट भू.सं. ए-205, सुरजीत सिंह कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 566 दिनांक 27.05.2013 को श्रीमती सलबी पत्नी श्री नत्थू खां के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री अब्दूल सतार व श्री नवाज अली द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 19.12.2024 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के अपने नाम से नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री अबदूल सतार पुत्र स्व. श्री नत्थू खां निवासी म.नं. 605 शिव कॉलोनी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर एवं श्री नवाज अली पुत्र श्री नत्थू खां निवासी शिव कॉलोनी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1356 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN

Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3497 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 11.1.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राजेन्द्र कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह निवासी गांव 77 आर बी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 18 किला नं. 3/4 में माप 25 इंटू 38.6 फीट भू.सं. एफ-15 अम्बिका एन्कलेव श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 884 दिनांक 26.06.2013 को श्री भाग सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती राजेन्द्र कौर द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31.7.2017 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती राजेन्द्र कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह निवासी गांव 77 आर बी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन सं. :- SGNR/FY24-25/MUT/1353 सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN

Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3307 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 16.1.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पुलकित ठठई पुत्र श्री मोहन लाल ठठई निवासी म.नं. 2000, गली नं. 15, बस स्टेण्ड के पीछे, अबोहर, जिला फाजिल्का के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 16 किला नं. 25 में माप 30 इंटू 60 फीट भू.सं. एफ-19, रिद्धि-सिद्धि-II श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 8947 दिनांक 28.9.2018 को श्री श्रीमती शिवानी यादव पत्नी श्री जितेन्द्र यादव के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री पुलकित ठठई द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.12.2024 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री पुलकित ठठई पुत्र श्री मोहन लाल ठठई निवासी म.नं. 2000, गली नं. 15, बस स्टेण्ड के पीछे, अबोहर, जिला फाजिल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन सं. :- SGNR/FY24-25/MUT/1279 सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियोजन/2025/80 **विज्ञप्ति** दिनांक : 07.02.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 17/18 के किला नं. 03 के भूखण्ड क्षेत्रफल 23'-4'' गुणा 50'-0'' फीट का आवासीय पट्टा संख्या 2595 दिनांक 22. 11.2013 द्वारा श्री किशन कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के नाम से जारी है। उक्त आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड 1166.66 वर्गफीट का ऑनलाईन नामान्तरण SGNR/FY23-24/MUT/1316 दिनांक 27.05.2024 द्वारा श्री देवी लाल पुत्र श्री राम प्रताप निवासी चक 2 डी छोटी, साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से नामान्तरण आदेश जारी है। आवेदक द्वारा उपरोक्त आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। आवासीय भूखण्ड को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी एस.एस.बी. सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान में प्रश्नगत भूखण्ड का प्रस्तावित भू-उपयोग मिश्रित आरक्षित है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.11 (8) नविवि/2020 जयपुर दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021, अधिसूचना क्रमांक प.11 (8) नविवि/2020 ऑनलाईन राजकाज रैफ 11611406 जयपुर दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना क्रमांक प.11(8) नविवि/2020 जयपुर दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां Development Promotion & Control Regulations (DPCR) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रुपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़

नैक द्वारा ग्रेड A++ मान्यता प्राप्त

यूजीसी द्वारा श्रेणी-I विश्वविद्यालय का दर्जा

Advt. No.CURAJ/R/.163/Rectt./2024/3306 Date : 21.01.2025

गैर - शैक्षणिक पद

विश्वविद्यालय में 09 गैर–शैक्षणिक पदों (सीधी भर्ती के तहत) के लिए पत्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है

अधिक जानकारी के लिए www.curaj.ac.in देखे।

CBC21316/12/0007/2425 कुलसचिव

दुकान नहीं तो ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

- उपभोक्ता न्यायालय ने 2 महीने में परिवादी को मॉल में दुकान का कब्जा देने के आदेश दिए

बीकानेर, (कासं)। जयपुर रोड पर व्यवसायिक मॉल समय पर तैयार नहीं हुआ। अब दो महीने के भीतर दुकान का कब्जा देने या फिर ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश उपभोक्ता न्यायालय ने जारी किए हैं।

इस मॉल में मई 2022 में दुकान का कब्जा दिया जाना था। लेकिन मई 2023 के बाद भी कब्जा नहीं मिलने पर अदालत में वाद दायर किया गया था। फड़ बाजार में रहने वाले मोहम्मद हसन राठौड़ ने जयपुर रोड पर तैयार हो रहे आरटेक कैपिटल हाई स्ट्रीट में एक दुकान बुक करवाई थी। दुकान समय पर नहीं मिलने पर राठौड़ ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उसने आरटेक कैपिटल हाई स्ट्रीट में एक दुकान बुक करवाई थी।

इसके लिए 25 जनवरी 2018 को 1100 रूपए नगद और 51 हजार रूपए का चैक देकर दुकान बुक करवाई थी। मई 2022 में दुकान का कब्जा देने का वादा किया गया था। इस समय अवधि में दुकान नहीं बनी। यहां तक कि मई 23 तक भी दुकान का निर्माण नहीं हो सका। आरोप है कि राठौड़ ने इस संबंध में कंपनी को जो नोटिस दिए थे। उनका भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर जिला आयोग में इस मामले को रखा गया। इसे अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस मानते हुए वाद दायर किया गया।

अपने फैसले में आयोग ने कहा कि दो महीने के भीतर उसे दुकान का कब्जा दिया जाए। अगर दो महीने में भी दुकान नहीं बनती है तो उसे जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। इसके अलावा एक लाख रूपए मानसिक संताप और बीस हजार रूपए अन्य खर्च के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास और सदस्य सुभाष चंद्र बरबड़ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये निणर्य दिया है।

सिंचाई पानी की मांग पर अड़े किसान

- किसानों ने अधिकारियों को एसडीएम कार्यालय में बंद किया

अनूपगढ़, (कासं)। घडसाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से दो बारी अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी रहा।

मंगलवार को इंदिरा गांधी नहर परियोजना रेगुलेशन के चीफ प्रदीप रस्तोगी से एसडीएम कार्यालय में वार्ता हुई, जिसमें एडीएम अशोक सांगवा की अध्यक्षता में अधिकारियों और किसानों के बीच पांचवें दौर की बातचीत भी विफल रही।

परियोजना चीफ रस्तोगी द्वारा सिंचाई पानी देने में असमर्थता जताने के बाद आक्रोशित किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सभी दरवाजे बंद कर दिए। इस दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना चीफ प्रदीप रस्तोगी, एडीएम अशोक सांगवा और एसडीएम दीपक चंदन कार्यालय में ही मौजूद रहे।

किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर कार्यालय में घुसने की चेतावनी दी है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।

किसान नेता राजू जाट ने कहा कि सिंचाई पानी न मिलने से फसलें बर्बाद हो जायेगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा, अधिकारियों को कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा। विधायक शिमला नायक ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। हुए कहा कि अनूपगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।